

168
11/9/23

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक.जविप्रा/उपा जो-1 12/2023/डी 8653 विभांक 21-8-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलंग्न प्रारूप अनुसार 8 फोटो साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपरोक्त जिन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102823

दिनांक : 31/08/2023

लोक सूचना

मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुभाष चन्द रीनी पुत्र श्री गणेश राम रीनी कार्यालय पता 709, ओके प्लस टावर, सैक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर	मैसर्स रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा.लि. कार्यालय पता 709, ओके प्लस टावर, सैक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान	703/559 722/581 698/582	0.2100 में से 0.1500 0.2800 1.0150 में से 0.7000
कुल किता 03				1.1300

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 80-क और राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 की धारा 83 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिघृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555

c-mail:

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं. LU20/2/JDA/2023-24/102846

दिनांक : 01.09.2023

लोकसूचना

मैसर्स केडिया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया जाति महाजन पता:- प्रथम तल, ए-6 से ए-10, श्री श्याम नगर, नाडी का फाटक के पास, बैनाड रोड, इन्दौरवाडा, जयपुर।

इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अवासीय (एकल मट्टा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अवासीय अधिकारी के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)
मंचवा, कालवड (जयपुर)	मैसर्स केडिया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया	1044 / 1030	1900.00	0.1900
कुल				0.1900

यदि इसका द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर नोटिस दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 01.09.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

संख्या: J2012/JDA/2023-24/102846

दिनांक: 01.09.2023

लोकसूचना

मैसर्स केडिया विल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया जाति महाजन पता:- प्रथम तल, ए-6 से ए-10, श्री श्याम नगर, नाडी का फाटक के पास, बैनाड रोड, शोहवाडा, जयपुर।

उक्त कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय (एकल पददा) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिकारी के निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
	मांघवा कालवाड (जयपुर)	मैसर्स केडिया विल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया	1055/1026	1107.00	0.1107
				कुल	0.1107

अतः इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर अपनी एसएसओ अर्गईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर दस्तावेज को अनलॉड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 01.09.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- LU2012/JDA/2023-24/ 102864

151-3587

दिनांक:- 31.08.2023

लोक सूचना

श्री CHIRANJI LAL SHARMA पुत्र श्री CHHAJU LAL SHARMA जाति HINDU निवासी 27 GEETABADI NEAR GANESH MANDIR JAMDOLI LOONLYAWAS JAIPUR श्री CHOUTH MAL SHARMA पुत्र श्री RAGHUNATH जाति HINDU निवासी 36 GEETA BADI JAMDOLI AGARA ROAD LOONIYAWAS JAIPUR श्री GOPAL LAL SHARMA पुत्र श्री LAXMI NARAYAN SHARMA जाति HINDU निवासी 6-M A-89 WATER TANKI OF SECTOR 6 INDRA GANDHI NAGAR JAGATPURA DANTLI JAIPUR श्री HAJARI LAL SHARMA पुत्र श्री GAJANAND SHARMA जाति HINDU निवासी C-27 SHIV VIHAR CHATARPURA JAIPUR श्री HANUMAN SAHAY SHARMA पुत्र श्री LAXMI NARAYAN SHARMA, जाति HINDU निवासी 6/MA/88 INDRA GANDHI NAGAR OPP. KHATIPURA RAIWAY STATION JAGATPURA JAIPUR श्री KAILASH CHAND SHARMA पुत्र श्री CHHAJU RAM SHARMA, जाति HINDU निवासी 18 RAJ VIHAR COLONY AGRA ROAD JAIPUR श्री KALU RAM SHARMA पुत्र श्री RAGHUNATH SHARMA, जाति HINDU निवासी JAN COLONY KANOTA JAIPUR श्री PHOOL CHAND पुत्र श्री LAXMI NARAYAN, जाति HINDU निवासी 6MA 86 GETOR ROAD INDRA GANDHI NAGAR PANI KI TANKI JAGATPURA JAIPUR श्री RAJU LAL SHARMA पुत्र श्री GAJANAND SHARMA, जाति HINDU निवासी 36 SODAWALO KA MOHALLA CHETARPURA DANTLI JAIPUR श्री RAM NATH SHARMA पुत्र श्री RAGHUNATH PRASAD SHARMA, जाति HINDU निवासी 23 AGRA ROAD GEETA BADI JAMDOLI JAIPUR श्री TRILOK CHANDRA SHARMA पुत्र श्री CHOJU RAM SHARMA, जाति HINDU निवासी 42 NANDAN VIHAR JAMDOLI LOONIYAWAS JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा न.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	चतरपुरा, सांगानेर	KAILASH CHAND, KALU, GOPAL, CHIRANJI LAL, CHOUTH, TRILOK CHAND, PHOOL CHAND, RAJU	444	11500	1.15
2	(जयपुर)	LAL, RAMNATH, HAJARI LAL SHARMA, HANUMAN	445	3600	0.36
				कुल	1.51

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी, से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सं. LU2012/JDA/2023-24/102844 / 51-3604

दिनांक 01/9/23

लोक सूचना

श्री TARACHAND SHARMA पुत्र श्री RADHESHYAM जाति BRAHMAN निवासी
VILLAGE NARSINGHPURA URF RIKSHA TEHSIL SANGANER
श्रीमति KOUSHALYA DEVI पत्नी श्री TARACHAND जाति BRAHMAN निवासी
VILLAGE NARSINGHPURA URF RIKSHA TEHSIL SANGANER

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (है. में)
1	ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिकशा, जिला तहसील सांगानेर (जयपुर)	KOUSHALYA DEVI	728 / 543	0.2300
2	ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिकशा, जिला तहसील सांगानेर (जयपुर)	TARACHAND SHARMA	730 / 543	0.0600
	कुल रकबा			0.2900

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 01/9/23 को जारी की जाती है।

दिनांक

स्थान जयपुर


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सं. LU2012/JDA/2023-24/102832/ *श्री. 3603*

दिनांक *11/9/23*

लोक सूचना

श्रीमति **KOUSHALYA DEVI** पत्नी श्री **TARACHAND SHARMA** जाति **BRAHMAN**
निवासी **VILLAGE NARSINGHPURA URF RIKSHA TEHSIL SANGANER**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का ~~आवेदन~~ प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (हेक्ट. मे)
1	ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, जिला तहसील सांगानेर (जयपुर)	KOUSHALYA DEVI	527	0.2300
2			528	0.2700
3			723 / 529	0.0400
	कुल रकबा			0.5400

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक *11/9/23* को जारी की जाती है।
दिनांक

स्थान जयपुर

[Signature]
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सं. LU2012/JDA/2023-24/102838 / *SR-3605*

दिनांक *1/9/23*

लोक सूचना

श्रीमति **KOUSHALYA DEVI** पत्नी श्री **TARACHAND** जाति **BRAHMAN** निवासी
VILLAGE NARSINGHPURA URF RIKSHA TEHSIL SANGANER

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (हेक्ट. में)
1	ग्राम नरसिंहपुरा उर्फ रिकशा, जिला तहसील सांगानेर (जयपुर)	KOUSHALYA DEVI	532	0.0400
2			753 / 535	0.1267
3			533	0.0300
4			534	0.0800
5			740 / 401	0.0550
6			745 / 536	0.0300
7			722 / 408	0.0100
	कुल रकबा			0.3317

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक *1/9/23* को जारी की जाती है।

दिनांक

स्थान जयपुर

उपायुक्त एवं अभिधृति अधिकारी, जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सं. LU2012/JDA/2023-24/102865

/ 57-3598

दिनांक 01/9/23

लोक सूचना

श्री DEVVRAT SINGH RAJAWAT पुत्र श्री RAM SINGH RAJAWAT जाति RAJPUT निवासी
317-A, MAHAVEER NAGAR, TONK ROAD, DURGAPURA, JAIPUR, RAJASTHAN
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के
अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (मीटर मे)
1	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	DEVVRAT SINGH RAJAWAT	3861/1829	430
2	गोनेर, सांगानेर (जयपुर)	DEVVRAT SINGH RAJAWAT	3863/1830	470
			कुल किता 2	कुल रकबा 900

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 01/9/23 को जारी की जाती है।

दिनांक

स्थान जयपुर

उपायुक्त जोन-9
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी, जोन-9
जयपुर, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3607

दिनांक:- 01/9/23


प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन

जविप्रा क्षेत्र में स्थित कर्मचारी योजना टीलावाला के भूखण्ड संख्या ए-6 क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मीटर की लीजीडीड क्रमांक 66 दिनांक 31.08.2005 को श्री रामचन्द्र भील पुत्र श्री उदाराम भील के नाम से जारी की गयी है तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान किये जाने पर जविप्रा द्वारा पत्र क्रमांक डी-4517 दिनांक 09.09.2014 को श्रीमती अचला पारीक पत्नी श्री ओम प्रकाश पारीक के नाम हस्तान्तरण किया जा चुका है। जविप्रा द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-2 के उपबिन्दु संख्या-iv के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान उत्तर दिशा की ओर भूखण्ड संख्या ए-7, दक्षिण दिशा की ओर भूखण्ड संख्या ए-5, पूर्व दिशा की ओर भूखण्ड संख्या ए-11 एवं पश्चिम दिशा की ओर 30 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है।


किन्ही दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त जोन-9 कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 01/9/23 को जारी की गयी।


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।


उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91)-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

76
आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी- 2302

दिनांक:- 1/9/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	105	247.97 वर्गगज	श्री मैदाराम मीणा	खारवाल कॉलोनी विकास समिति बरसी	खारवाल कॉलोनी	अपंजीकृत इकरारनामा व शपथ पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।
	106	170.50 वर्गगज				
2	एफ-485	275.00 वर्गमीटर	श्रीमती करुणा लोहारियावाला पत्नी स्व. श्री रामावतार लोहारियावाला	जविप्रा	कल्पना नगर	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2986


दिनांक:- 31/8/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती वर्षा कासवानी	जी. एफ-104	जविप्रा	झालाना फैंज-III	नामहस्तान्तरण पत्र	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र,



उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्र- 341/13/23/5-2298

दि-11/9/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	28	375.00 वर्गगज	श्री अनिल कुमार जैन एवं श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन	जय अम्बे कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसायटी	श्री राम नगर योजना चौमू	अपंजीकृत इकरारनामा पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
2.	101	288.8 वर्गगज	श्री गजानन्द अग्रवाल पुत्र श्री मालीराम अग्रवाल	जय अम्बे कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसायटी	श्री राम नगर योजना चौमू	अपंजीकृत इकरारनामा पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
3.	100	325.00 वर्गगज	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री सत्यनारायण अग्रवाल	जय अम्बे कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसायटी	श्री राम नगर योजना चौमू	अपंजीकृत इकरारनामा पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिनिधि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञापित का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

जविप्रा, जयपुर

जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-2297

दिनांक : 11/9/23

संशोधित लोक सूचना

आर एस के सुपर रबर प्राइवेट लिमिटेड जरिए अधिकृत डायरेक्टर समीर अग्रवाल पुत्र कान्हा राम अग्रवाल सा.ए.-28, महावीर नगर, सेन्ट्रल एकेडमी विद्यालय के पास, जपुर जिला जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम-हीशवाला उर्फ विजयमुकुन्दपुरा तहसील-बरसी के खसरा नम्बर 351/346 रकबा 0.1478 हेक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ धारा 90ए हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जोन कार्यालय द्वारा जारी लोक सूचना दिनांक 21.07.2023 में सहवन से खसरा नम्बर 351/346 के स्थान पर 1351/346 अंकित हो गया था। को संशोधन कर संशोधित लोक सूचना जारी की जा रही है। अतः दिनांक 21.07.2023 को जारी लोक सूचना में अंकित खसरा नम्बर 1351/346 के स्थान पर 351/346 पढ़ा जावे।


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11/9/23 को जारी की गयी।

Sd/
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

01/09/23
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-1737

दिनांक 01/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुश्री भव्या शर्मा पुत्री श्री शिवराज शर्मा	श्रीमती सरोज राठौड़ पत्नी श्री गोपाल सिंह	496 दक्षिणी भाग	64.16 वर्ग.	श्री गणपति गृ. नि.स.स.	गणेश नगर	उपविभाजन/लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु	जविप्रा पट्टा की प्रति, पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति एवं बख्शीशनामा के आधार पर

उपायुक्त, जोन-7
उपायुक्त एवं जविप्रा अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी-437

दिनांक 01/09/23

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।


क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	दुकान/भूखण्ड सं. व क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खोदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री देव शर्मा पुत्र श्री यशवीर त्यागी	श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री मूला सिंह	एसपी-2	जविप्रा	ज्योति नगर, जयपुर	नाम हस्तान्तरण हेतु	प्रार्थना पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति


1/9/23

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


1/9/23
उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1744

दिनांक 1/9/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	का	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री आनन्द सिंह राठौड़	श्री प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री आनन्द सिंह राठौड़		पुर्नगठित भू.सं. 201, 202	आवासीय	आफिसर्स कैम्पस (संयुक्त गृ. नि.स.स.)	800 वर्ग	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

14:20

4G

← Salasar Vigy...



जयपुर विद्युत निगम

जयपुर

www.jda.org

आय सूची

जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के पट्टे अन्य कार्य हेतु आदेश प्रमाणित करने के लिए

क्र.सं.	सम्पत्ति का नाम	प्लान नम्बर/सीकरीट/सबका का नाम	प्लान नम्बर	प्लान नम्बर/सीकरीट/सबका का नाम	प्लान नम्बर	प्लान नम्बर/सीकरीट/सबका का नाम	प्लान नम्बर
1	डी.डी.सी. रोड पर पु.डी.सी. रोड रोड रोड रोड रोड	डी.डी.सी. रोड पर पु.डी.सी. रोड रोड रोड रोड	1964	185.17	डी.डी.सी. रोड पर पु.डी.सी. रोड रोड रोड रोड	1964	185.17
2	डी.डी.सी. रोड पर पु.डी.सी. रोड रोड रोड रोड	डी.डी.सी. रोड पर पु.डी.सी. रोड रोड रोड रोड	1964	185.17	डी.डी.सी. रोड पर पु.डी.सी. रोड रोड रोड रोड	1964	185.17

पु.डी.सी. नि. प्रमुख,
जयपुर

जयपुर अधिकारी
जयपुर, जयपुर

प.ओ. नोट नम्बर: जयपुर/उपा. पु.डी.सी. नि. प्रमुख (दक्षिण-प्रथम) /2023/डी-1837 दिनांक 29/04/23